

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- भगवान पुत्र धन्ना भील निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- भेरू पुत्र धन्ना भील निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मु. गंगा पुत्री मोहन पुत्री बाली भील निवासी आमली कालू सिंह पत्नी देबीलाल भील निवासी नारायणपुरा
- 3- मु. राधा पुत्री मोहन माता बाली भील निवासी आमली कालू सिंह पत्नी गज्जू भील निवासी रूपपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात अन्तर्गत धारा 53

मुकदमा नम्बर 42/2023 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 18 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा